कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक / 11929-30 / 2025–26 दिनाक 26/09/2025

प्रबन्धक,
शान्ती निकेतन पब्लिक स्कूल,
गढ़ी रद्दू, विसैराकलॉ, बरौली अहीर–आगरा।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन / प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार **शान्ती निकेतन पब्लिक स्कूल, गढ़ी रद्दू, विसैराकलॉ, बरौली अहीर–आगरा** को इस कार्यालय के पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / 14846–52 / 2017–18 दिनांक 01.01.2018 के द्वारा **नर्सरी से कक्षा–08 तक माध्यम– अंग्रेजी की तीन वर्ष के लिए अस्थायी / अनंनतिम मान्यता प्रदान की गयी थी।**

इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 01.01.2018 द्वारा प्रदान की गयी उक्त मान्यता सम्बन्धित शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित मानक एवं शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। संबंधित शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के बिन्दु संख्या–15 में उल्लिखित नियम के आधार पर एवं मान्यता के संबंध में नवीन शासनादेश संख्या–89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या–संख्या-575/68-3-2018-2041/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2023 द्वारा किए गये संशोधन आदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्व कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के आधार पर **विद्यालय को उक्तवत दी गयी मान्यता अब स्थायी श्रेणी की मानी जायेगी** । विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा की विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार गौंड)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।